


बोलेरो गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, युवक जिंदा जला

घटना का पता आसपास के लोगों को सुबह चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी

खिरोड़, (निर्स)। बसावा गांव की धोली डूंगरी के पास बटारों की ढाणी में मंगलवार रात को बोलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग से उसमें सवार युवक जिंदा जल गया। जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे गाड़ी में सवार युवक नेमीचंद (44) पुत्र मोहनलाल जिंदा जल गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात बटारों की ढाणी निवासी नेमीचंद किसी काम से बाहर गया था और घर लौट रहा था। रास्ते में घर के पास ही उसकी बोलेरो गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। गाड़ी में अचानक एक साथ आग लगने से नेमीचंद बाहर नहीं निकल सका और अंदर जलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का पता आसपास के लोगों को सुबह चला तो उन्होंने रास्ते में गाड़ी



आग से बोलेरो गाड़ी जलकर राख हो गई।

को जली हुई हालत में देखा। ग्रामीणों ने तुरंत गोठड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते

ही गोठड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस ने गाड़ी से नेमीचंद का जला हुआ शव

बराबत किया और उसे परसरामपुरा के सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अस्पताल में शव का

■ अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा

पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया।

मौके पर एक बोलेरो गाड़ी जली हुई अवस्था में मिली। बोलेरो गाड़ी में नेमीचंद पुत्र मोहनलाल का शव मिला है। नेमीचंद का शव पूरी तरह से जल चुका था। मृतक नेमीचंद के भाई भंवरलाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसका भाई रात को गाड़ी से कहीं जाकर आया था उसे करीब 300 मीटर दूर रास्ते के पास में ही गाड़ी में जली हुई अवस्था में मिला और गाड़ी भी पूरी तरह से जल चुकी थी।

देरवाला में 11 साल से सड़क किनारे खुला छोड़ रखा है बोरवैल



देरवाला में सड़क किनारे खुला पड़ा बोरवैल हादसों को न्यौता दे रहा है।

झुंझुनू, (निर्स)। देरवाला में 11 साल से सड़क किनारे बोरवैल को खुला ही छोड़ रखा है। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत देरवाला में मुख्य सड़क किनारे काजी बस्ती के सामने खेलते बच्चे कब खुले पड़े बोरवैल में गिरने हादसे का शिकार हो जाये, इसका भगवान ही मालिक है। साथ इस बोरवैल के पास में बने पीलर यानी खंभे और कोटड़ी सड़क हादसे को दायर दे रहे हैं। वहीं 11 साल से इस तरफ न जिम्मेदार जलदाय विभाग का ध्यान है न ग्राम पंचायत का।

इस बोरवैल के सामने बने घरवालों ने सड़क की सीमा पर चारदीवारी करने पर यहां से गुजरने वाले साधनों के लिए दुर्घटना को आशंका को ओर अधिक

■ 11 साल से जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत का कोई ध्यान नहीं है

बढ़ जाती है। बोरवैल के पास बनी इसकी कोटड़ी के पास अवा रा पशुओं का जमावड़ा रहता है, जो रात को आने वाले वाहनों के लिए दुर्घटना का कारण बन रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कोटड़ी और बोरवैल के कारण संकरी हो चुकी रोड़ पर दुर्घटना की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। कोटड़ी की ओट में आवारा पशु खड़े रहते हैं जो तेज गति से आ रहे वाहनों के सामने आ जाने से दुर्घटना हो जाती है।

हुड़दंग करते 17 जने गिरफ्तार

उदयपुर, (निर्स)। नव वर्ष के दौरान शराब पीकर हुड़दंग करने वाले सत्रह आरोपियों को अम्बामाता थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चन्द्र बोरीवाल के सुपरविजन में अम्बामाता थानाधिकारी डॉ. हनवंतसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में गठित पुलिस दल ने नव वर्ष के दौरान गश्त करते रानी रोड़, देवाली, फतहसागर, झील किनारे सहित विभिन्न स्थानों पर शराब के नशे में हुड़दंग करते एवं पटाखे छोड़ते मिले 17 आरोपियों को गिरफ्तार 5 वाहन जब्त किए।

पूर्व पार्षद व भाई के खिलाफ मामला दर्ज

उदयपुर, (निर्स)। शहर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद व उसके भाई के खिलाफ पीड़ित से नकदी हड़पने का प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित अर्जुन लाल मेघवाल पुत्र भगवान लाल मेघवाल निवासी वृन्दा विहार कालका माता रोड़ ने आरोपी पूर्व पार्षद हिरणमगरी निवासी लवदेव बागड़ी पुत्र सत्यनारायण व उसके भाई देशराज बागड़ी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2017 में 20 माह की वीसी का संचालन शुरू किया था, जिसमें लवदेव व उसके भाई देशराज भी सदस्य

■ पीड़ित ने थाने में नकदी हड़पने का मामला दर्ज कराया

थे। उन्होंने अपने अपने हिस्से की वीसी को उठा लिया। जिसके एवज में कुछ किरातों का भुगतान कर शेष रही किरातों के करीब 6 लाख 50 हजार रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया। उक्त नकदी की मांग करने पर आरोपी टालमटोल करना शुरू कर दिया तथा कुछ समय बाद नकदी देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

दुकान से लाखों के मोबाइल चोरी

गंज थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई

अजमेर, (कास)। गंज थाना क्षेत्र में बोरवा चौपहा स्थित एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोर दुकान में छत के रास्ते से आए और दुकान में प्रवेश किया। अज्ञात चोरों ने विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन सहित अन्य सामानों पर हाथ साफ किया। चोरों ने गल्ले में रखे 18 हजार रुपए भी चुराए

■ चोरों ने विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन सहित अन्य सामानों पर हाथ साफ किया, चोरों ने गल्ले में रखे 18 हजार रुपए भी चुराए

रुपए भी चुरा लिए। दुकान संचालक रिंकू ने चोरी की शिकायत गंज थाना पुलिस को दी।

दुकान संचालक रिंकू ने बताया कि बुधवार सुबह जब उसने दुकान खोली



दुकान संचालक ने चोरी की वारदात की जानकारी दी।

तो सामान फँसा हुआ था और कीमती मोबाइल सहित एसेसरीज गायब थी। सूचना मिलते ही एएसआई राजेन्द्र

प्रसाद मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने

पूर्व राजपरिवार से जुड़े मामले में देवस्थान विभाग ने अपना ही फैसला बदला

भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी को झटका, पूर्व ट्रस्टियों को बहाल किया



बीकानेर के एक होटल में प्रिंसंस राज्यश्री कुमारी ने पत्रकार वार्ता की।

बीकानेर, (निर्स)। पूर्व राजघराने के संपत्ति विवाद को लेकर बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी को बड़ा झटका लगा है। कुछ समय पूर्व देवस्थान विभाग ने भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन अब उसी देवस्थान विभाग ने अपने ही फैसले को पलट दिया है, जिससे एक बार फिर राज्यश्री कुमारी को झटका लगा है। देवस्थान विभाग आयुक्त की ओर से जारी आदेश के बाद बुधवार को एक होटल में प्रिंसंस राज्यश्री कुमारी ने अपने वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा कि उनका न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है और हम सही हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हम न्यायिक व्यवस्था में विश्वास और आस्था रखते हैं। उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग के आदेश के बाद वे ट्रस्ट के कार्यालय में उचित समय पर जायेंगी। वहीं जुनागढ़ सहित ट्रस्ट

■ न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है और हम सही हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं : राज्यश्री कुमारी

कार्यालयों के बाहर पुलिस व बाउन्सर तैनात करने को राज्यश्री कुमारी ने सिद्धि कुमारी द्वारा राजनीति का नाजायज फायदा उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट उनके बाप दादा के हैं और उनकी मंशा के अनुसार ट्रस्ट को चलाया जा रहा है और आपो भी चलाया जायेगा। देवस्थान विभाग ने पिछले दिनों दिए अपने एक आदेश में मुंबई हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए लिखा है कि राज्यश्री कुमारी उक्त परिचय में वरिष्ठतम सदस्य हैं। ट्रस्ट में मौजूदा राज्यश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी, रीमा हुजा एवं हनुवंत सिंह बर्किंग ट्रस्टी व सिद्धि कुमारी पंजीबद्ध ट्रस्टी देवस्थान

विभाग में दर्ज है। उनके द्वारा सिद्धि कुमारी ट्रस्टी पद से हटाए जाने का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में पारित रिकार्ड पर है। परंतु इस तथ्य को इंगोर कर देवस्थान विभाग के अधीनस्थ कार्यालय ने अकेले सिद्धि कुमारी के अधिवक्ता के वाक्यों को सही मानकर स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। तब आवेदन करने वाले हनुवंत सिंह के हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं किया गया, ऐसे में देवस्थान विभाग के आयुक्त ने सवाल उठाया है कि हनुवंत सिंह के हस्ताक्षर को मान्यता नहीं देने के कारण बताए बिना ही निर्णय कर दिया गया। देवस्थान विभाग के आयुक्त ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि अधीनस्थ कार्यालय ने तथ्य को इंगोर करते हुए आदेश कर दिए, जो विधि विरुद्ध है। देवस्थान विभाग के आयुक्त वासुदेव मालावत ने पूर्व में हुए देवस्थान विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं।

अवैध मादक पदार्थ सहित तीन जने गिरफ्तार

उदयपुर, (निर्स)। शहर के धुपालपुरा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार चालक से अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बराबद कर गिरफ्तार किया। अन्यत्र सूरजपोल थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशटर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से एमडीएमए बराबद किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चन्द्र के सुपरविजन में धुपालपुरा थानाधिकारी मुकेश सोनी के नेतृत्व में एसआई देवीलाल, कांस्टेबल विजयसिंह देवीलाल, सोहनलाल मय टॉम मंगलवार रात में शास्त्री संकल से गश्त करते हुए अशोक नगर, आयड, दुर्गासरी रोड़, कुम्हारों का पट्टा होते हुए सेवाश्रम पहुंचे, जहां बिना बंद की कार चालक पुलिस को देख कार लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दबोच कर पछुताछ की तो उसने अपना नाम रूखसार थाना रतनागढ़ चूक निवासी श्रवणसिंह पुत्र मंगेजासिंह राजपूत बताया। जिसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 30.31 ग्राम अवैध एमडीएमए मादक पदार्थ

मिला। पछुताछ करने पर मादक पदार्थ नोखा बीकानेर निवासी भवानीसिंह तथा उदयपुर निवासी शुभम से लेकर आने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी श्रवण को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से मादक पदार्थ, कार जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। वहीं अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेशओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगनपुरोहित के नेतृत्व में सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह, प्रभारी जिला स्पेशल टीम श्यामसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने रेल्वे कॉलोनी के पीछे माछला मारा रोड़ से आरोपी मो. साबिर उर्फ साहिल पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी खेरादीवाड़ा हनुमानजी मंदिर के पास सूरजपोल तथा मो. फरहान उर्फ फैसल पुत्र मो. सिद्धिक निवासी मेवाफरोश कुंजरवाड़ी धानमंडी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 3.16 ग्राम बराबद कर दोनों को गिरफ्तार किया। मो. साबिर उर्फ साहिल हिस्ट्रीशटर होकर उसके खिलाफ सात अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, मो. फरहान के खिलाफ दो अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

रजब का चांद दिखाई देने के साथ ही ख्वाजा का 813वां उर्स शुरू

दिल्ली से अजमेर पहुंचा कलंदरों का जत्था, हैरतअंगेज करतब दिखाए

अजमेर, (कास)। रजब का चांद दिखाई देने के साथ ही सूफी संत अजमेर वाले ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का 813वां उर्स बुधवार से शुरू हो गया। उर्स पर मजार शरीफ के गुस्ल की रस्म का समय बदल गया और महफील खाने में दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन की सदारत में महफिल शुरू हो गई। इस हिसाब से जुम्मे की नमाज 3 जनवरी को होगी। उस दिन चांद की दो तारीख होगी।

जानकारी के अनुसार इस कड़ाके वाली सर्दी में दिल्ली स्थित कलिहर शरीफ महरीली 28 दिनों की यात्रा कर कोहरे में कलंदरों व मलंगों का जत्था बुधवार सुबह अजमेर पहुंचा। ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के 813 वें सालाना उर्स का पैगाम देते देश के विभिन्न हिस्सों आए कलंदर, मलंगों के दल ने हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए ख्वाजा साहब की दरगाह में छड़ियां सजावट चार पेश की। हजरत इनाम हसन गुददीशाह बाबा की अगुवाई में उस्मानो चिल्ले से कलंदरों व मलंगों



ख्वाजा साहब की दरगाह पर मलंग व कलंदरों ने छड़ियां पेश की।

का जुलूस गाजे-बाजे व ढोल-ढमकों के साथ निकला जो विभिन्न भागों से होता हुआ ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचा। जुलूस में कलंदर करतब दिखाते हुए चल रहे थे। करीब 445 किलोमीटर का पैदल सफर तय अजमेर पहुंचे कलंदरों व मलंगों की टोलियां का जुलूस चिल्ले

■ जन्नती दरवाजा खुला, जियारत के लिए जायरीनों की भीड़ उमड़ी

हूए बुधवार सुबह गंज ऋषि घाटी स्थित गुददीशाह के चिल्ले पहुंची, गद्दीशन इनाम साहब छड़ी लाने वालों की मेहमान नवाजी की। गद्दीशन की ओर से मलंगों को भोजन व चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई। जन्नती दरवाजे से निकलने की मोची होड़:- ख्वाजा साहब के सालाना उर्स के मौके पर छह दिनों के लिए जन्नती दरवाजा आम जायरीन के लिए बुधवार अलसुबह खोल दिया गया। जन्नती दरवाजे में से जाने के लिए जायरीन में होड़ सी मच गई। कुल की रस्म 7 को :- उर्स में कुल की रस्म 7 जनवरी को होगी, महफिल खाने में कुरानख्वानी, कबाल रंग और बधावा पहेंगे जाएंगे तथा दोपहर एक बजे फातिहाख्वानी

होगी। दरगाह कमेटी दरगाह दीवान की दस्तावेजों की जाएगी। दीवान परिवार के साथ आस्ताना शरीफ में कुल की रस्म अदा करेंगे, इसके बाद जन्नती दरवाजा बंद किया जाएगा। कुल की रस्म के बाद देशभर से आए कलंदर-मलंग दागोल की रस्म अदा करेंगे। दीवान कलंदरों-मलंगों की दस्तावेजों की जाएगी।

श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ सहित व्यापारिक संगठन गंज के पदाधिकारियों ने ख्वाजा शरीब नवाज की दरगाह पर आने वाले सैकड़ों कलंदरों का पुष्पवर्षा करके आतिशबाजी की, कलंदरों को चाय पिलाई गई। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के उपाध्यक्ष और व्यापारिक संगठन गंज के कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश अंगन छबलानी महासंघ के रमेश लालवानी, दिनेश कुमार टांक, सननी अगनानी, बदरुद्दीन कुरैशी, गोविंद लालवानी, दीपिका गुरु सलोनी किन्नर एवं अन्याने युनानी चिकित्सालय के सामने गंज में कलंदरों का अभिनंदन किया।

हादसे में एक की मौत

भीलवाड़ा, (निर्स)। शहर के पुर थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुरा पुलिसिया के निकट देर रात हाइवे पर एक ट्रक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगा देने से पीछे तेज गति से आ रहा डंपर ट्रक से टकरा गया। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। पुर थाना पुलिस ने बताया कि महेंद्र नाथ पिता नंदा नाथ (35) निवासी रूपाहेली थाना गुलाबपुरा बीती रात को डंपर लेकर अपने गांव रूपहेली जा रहा था।

इसी दौरान लक्ष्मीपुरा पुलिसिया के समीप देर रात को आगे चल रहे ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से डंपर ट्रक से टकरा गया। हादसे में महेंद्र केबिन में फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल महेंद्र को पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद केबिन से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

हमले में दो युवक घायल

उदयपुर, (निर्स)। शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावर चाकू से हमला कर दो युवकों को घायल कर फरार हो गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर देर रात बाद में अम्बामाता थाना क्षेत्र दायजों पुलिसिया के समीप अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर नागानगरी निवासी अरशद पुत्र एजाज खान तथा जसवन्त पुत्र अशोकसिंह पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। रात में दोनों पुलिसिया के समीप बैठे थे। इस दौरान आए 4-5 अज्ञात बदमाशों ने अरशद व जसवन्त के साथ मारपीट की तथा चाकू से हमला कर फरार हो गए।

हरिदत्त जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

क्रमांक :- 11.6(2)(1)अक्ट/कॉन्ट्रैक्ट/देवा/संजीव/2024/4721 दिनांक :- 23/12/2024

तृतीय टीकात सनाटोह सुरणा

अल्पतम हर्ष के साथ यह सूचित किया जाता है कि माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति की अध्यक्षता में हरिदत्त जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का तृतीय टीकात सनाटोह दिनांक 05.02.2025 (बुधवार) को आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में सम्स्त प्रकार की सूचनाओं के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hju.ac.in का अवलोकन करें।

राज.सं.सं.सं./सी/24/9802 कुलसचिव

कार्यालय अधिष्ठात्री अभियन्ता ओ.ए.डी. खण्ड प्रथम, सिं.के.वि. डि.गा.न.प. बीकानेर क्रमांक-4457-4476 दिनांक- 23.12.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 12 वर्ष 2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित खण्डों हेतु नवीन पंजीकरण प्रिन्सो के अन्तर्गत सामग्री में ई-निविदा संकेतों से Construction of Plucca Water Course in Chak 13 BG, 14 BG, 15 BG, 16 BG, 17 BG, 18 BG, 19 BG, 20 BG, 21 BG, 22 BG, 23 BG, 24 BG, 25 BG, 26 BG, 27 BG, 28 BG, 29 BG, 30 BG, 31 BG, 32 BG, 33 BG, 34 BG, 35 BG, 36 BG, 37 BG, 38 BG, 39 BG, 40 BG, 41 BG, 42 BG, 43 BG, 44 BG, 45 BG, 46 BG, 47 BG, 48 BG, 49 BG, 50 BG, 51 BG, 52 BG, 53 BG, 54 BG, 55 BG, 56 BG, 57 BG, 58 BG, 59 BG, 60 BG, 61 BG, 62 BG, 63 BG, 64 BG, 65 BG, 66 BG, 67 BG, 68 BG, 69 BG, 70 BG, 71 BG, 72 BG, 73 BG, 74 BG, 75 BG, 76 BG, 77 BG, 78 BG, 79 BG, 80 BG, 81 BG, 82 BG, 83 BG, 84 BG, 85 BG, 86 BG, 87 BG, 88 BG, 89 BG, 90 BG, 91 BG, 92 BG, 93 BG, 94 BG, 95 BG, 96 BG, 97 BG, 98 BG, 99 BG, 100 BG, 101 BG, 102 BG, 103 BG, 104 BG, 105 BG, 106 BG, 107 BG, 108 BG, 109 BG, 110 BG, 111 BG, 112 BG, 113 BG, 114 BG, 115 BG, 116 BG, 117 BG, 118 BG, 119 BG, 120 BG, 121 BG, 122 BG, 123 BG, 124 BG, 125 BG, 126 BG, 127 BG, 128 BG, 129 BG, 130 BG, 131 BG, 132 BG, 133 BG, 134 BG, 135 BG, 136 BG, 137 BG, 138 BG, 139 BG, 140 BG, 141 BG, 142 BG, 143 BG, 144 BG, 145 BG, 146 BG, 147 BG, 148 BG, 149 BG, 150 BG, 151 BG, 152 BG, 153 BG, 154 BG, 155 BG, 156 BG, 157 BG, 158 BG, 159 BG, 160 BG, 161 BG, 162 BG, 163 BG, 164 BG, 165 BG, 166 BG, 167 BG, 168 BG, 169 BG, 170 BG, 171 BG, 172 BG, 173 BG, 174 BG, 175 BG, 176 BG, 177 BG, 178 BG, 179 BG, 180 BG, 181 BG, 182 BG, 183 BG, 184 BG, 185 BG, 186 BG, 187 BG, 188 BG, 189 BG, 190 BG, 191 BG, 192 BG, 193 BG, 194 BG, 195 BG, 196 BG, 197 BG, 198 BG, 199 BG, 200 BG, 201 BG, 202 BG, 203 BG, 204 BG, 205 BG, 206 BG, 207 BG, 208 BG, 209 BG, 210 BG, 211 BG, 212 BG, 213 BG, 214 BG, 215 BG, 216 BG, 217 BG, 218 BG, 219 BG, 220 BG, 221 BG, 222 BG, 223 BG, 224 BG, 225 BG, 226 BG, 227 BG, 228 BG, 229 BG, 230 BG, 231 BG, 232 BG, 233 BG, 234 BG, 235 BG, 236 BG, 237 BG, 238 BG, 239 BG, 240 BG, 241 BG, 242 BG, 243 BG, 244 BG, 245 BG, 246 BG, 247 BG, 248 BG, 249 BG, 250 BG, 251 BG, 252 BG, 253 BG, 254 BG, 255 BG, 256 BG, 257 BG, 258 BG, 259 BG, 260 BG, 261 BG, 262 BG, 263 BG, 264 BG, 265 BG, 266 BG, 267 BG, 268 BG, 269 BG, 270 BG, 271 BG, 272 BG, 273 BG, 274 BG, 275 BG, 276 BG, 277 BG, 278 BG, 279 BG, 280 BG, 281 BG, 282 BG, 283 BG, 284 BG, 285 BG, 286 BG, 287 BG, 288 BG, 289 BG, 290 BG, 291 BG, 292 BG, 293 BG, 294 BG, 295 BG, 296 BG, 297 BG, 298 BG, 299 BG, 300 BG, 301 BG, 302 BG, 303 BG, 304 BG, 305 BG, 306 BG, 307 BG, 308 BG, 309 BG, 310 BG, 311 BG, 312 BG, 313 BG, 314 BG, 315 BG, 316 BG, 317 BG, 318 BG, 319 BG, 320 BG, 321 BG, 322 BG, 323 BG, 324 BG, 325 BG, 326 BG, 327 BG, 328 BG, 329 BG, 330 BG, 331 BG, 332 BG, 333 BG, 334 BG, 335 BG, 336 BG, 337 BG, 338 BG, 339 BG, 340 BG, 341 BG, 342 BG, 343 BG, 344 BG, 345 BG, 346 BG, 347 BG, 348 BG, 349 BG, 350 BG, 351 BG, 352 BG, 353 BG, 354 BG, 355 BG, 356 BG, 357 BG, 358 BG, 359 BG, 360 BG, 361 BG, 362 BG, 363 BG, 364 BG, 365 BG, 366 BG, 367 BG, 368 BG, 369 BG, 370 BG, 371 BG, 372 BG, 373 BG, 374 BG, 375 BG, 376 BG, 377 BG, 378 BG, 379 BG, 380 BG, 381 BG, 382 BG, 383 BG, 384 BG, 385 BG, 386 BG, 387 BG, 388 BG, 389 BG, 390 BG, 391 BG, 392 BG, 393 BG, 394 BG, 395 BG, 396 BG, 397 BG, 398 BG, 399 BG, 400 BG, 401 BG, 402 BG, 403 BG, 404 BG, 405 BG, 406 BG, 407 BG, 408 BG, 409 BG, 410 BG, 411 BG, 412 BG, 413 BG, 414 BG, 415 BG, 416 BG, 417 BG, 418 BG, 419 BG, 420 BG, 421 BG, 422 BG, 423 BG, 424 BG, 425 BG, 426 BG, 427 BG, 428 BG, 429 BG, 430 BG, 431 BG, 432 BG, 433 BG, 434 BG, 435 BG, 436 BG, 437 BG, 438 BG, 439 BG, 440 BG, 441 BG, 442 BG, 443 BG, 444 BG, 445 BG, 446 BG, 447 BG, 448 BG, 449 BG, 450 BG, 451 BG, 452 BG, 453 BG, 454 BG, 455 BG, 456 BG, 457 BG, 458 BG, 459 BG, 460 BG, 461 BG, 462 BG, 463 BG, 464 BG, 465 BG, 466 BG, 467 BG, 468 BG, 469 BG, 470 BG, 471 BG, 472 BG, 473 BG, 474 BG, 475 BG, 476 BG, 477 BG, 478 BG, 479 BG, 480 BG, 481 BG, 482 BG, 483 BG, 484 BG, 485 BG, 486 BG, 487 BG, 488 BG, 489 BG, 490 BG, 491 BG, 492 BG, 493 BG, 494 BG, 495 BG, 496 BG, 497 BG, 498 BG, 499 BG, 500 BG, 501 BG, 502 BG, 503 BG, 504 BG, 505 BG, 506 BG, 507 BG, 508 BG, 509 BG, 510 BG, 511 BG, 512 BG, 513 BG, 514 BG, 515 BG, 516 BG, 517 BG, 518 BG, 519 BG, 520 BG, 521 BG, 522 BG, 523 BG, 524 BG, 525 BG, 526 BG, 527 BG, 528 BG, 529 BG, 530 BG, 531 BG, 532 BG, 533 BG, 534 BG, 535 BG, 536 BG, 537 BG, 538 BG, 539 BG, 540 BG, 541 BG, 542 BG, 543 BG, 544 BG, 545 BG, 546 BG, 547 BG, 548 BG, 549 BG, 550 BG, 551 BG, 552 BG, 553 BG, 554 BG, 555 BG, 556 BG, 557 BG, 558 BG, 559 BG, 560 BG, 561 BG, 562 BG, 563 BG, 564 BG, 565 BG, 566 BG, 567 BG, 568 BG, 569 BG, 570 BG, 571 BG, 572 BG, 573 BG, 574 BG, 575 BG, 576 BG, 577 BG, 578 BG, 579 BG, 580 BG, 581 BG, 582 BG, 583 BG, 584 BG, 585 BG, 586 BG, 587 BG, 588 BG, 589 BG, 590 BG, 591 BG, 592 BG, 593 BG, 594 BG, 595 BG, 596 BG, 597 BG, 598 BG, 599 BG, 600 BG, 601 BG, 602 BG, 603 BG, 604 BG, 605 BG, 606 BG, 607 BG, 608 BG, 609 BG, 610 BG, 611 BG, 612 BG, 613 BG, 614 BG, 615 BG, 616 BG, 617 BG, 618 BG, 619 BG, 620 BG, 621 BG, 6